कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्याः– 1098 / FP/UK/ROAD/155257/2022 देहरादूनःदिनॉक 21 अक्टूबर, 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
अल्मोड़ा।

विषयः–जनपद–बागेश्वर के अन्तर्गत मण्डलसेरा मोटर मार्ग के किमी0 2 से कलियाबगड़–गोगिनापानी मोटर मार्ग निमार्ण के निर्माण हेतु 1.469 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः–आपका पत्रांक–1087 / 12–1 दिनांक 06–10–2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव का कार्यालय द्वारा गहन अवलोकन करने के पश्चात् प्रस्ताव में निम्न प्रकार अपूर्णता दृष्टिगत हो रही है, जिसका निराकरण किया जाना तत्काल आवश्यक है। प्रस्ताव में इंगित कमियां निम्न प्रकार हैं :–

1. प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग–1, 2 एवं 3 को प्रस्ताव के आरम्भ में क्रमवार संलग्न किया जाय।
2. प्रस्ताव में संलग्न वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित समस्त प्रपत्रों को क्रमवार प्रस्ताव में संलग्न किया जाय।
3. प्रस्तावित परियोजना में बांज वृक्षों का पातन निहित है। अतः बांज वृक्षों के पातन हेतु सम्बन्धित वन संरक्षक की संस्तुति प्रस्ताव में संलग्न करें।
4. प्रस्तावित परियोजना में नाप भूमि प्रभावित हो रही है, इस सम्वन्ध में सम्बन्धित भूस्वामियों का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न किया जाना है।
5. प्रस्ताव में ए0पी0वी0 की देयता का कटिंग रहित प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना है।

अतः उपरोक्त कमियों का निराकरण करने हेतु अपने स्तर से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी / प्रस्तावक विभाग को निर्देशित करने का कष्ट करें, एवं प्रस्ताव में इंगित कमियों का पूर्ण निराकरण कर प्रस्ताव इस कार्यालय से वापिस प्राप्त कर लेवें एवं प्रस्ताव में इंगित कमियों का निराकरण कर परिपूर्ण प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

संख्याः– 1098 / FP/UK/ROAD/155257/2022 दिनॉकित।

1. **प्रतिलिपि** :– प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर को इस आशय से प्रेशित कि प्रस्ताव में इंगित कमियों का प्रस्तावक विभाग से पूर्ण निराकरण / समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करवाकर प्रस्ताव इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।
2. **प्रतिलिपि** :– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर को इस आशय से प्रेशित कि **प्रस्ताव में इंगित कमियों का पूर्ण निराकरण करने हेतु प्रस्ताव की प्रतियां इस कार्यालय से वापस प्राप्त कर लेवें एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी / वन संरक्षक के माध्यम से प्रस्ताव इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।**

21/10/22

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

o/c